राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(3)गृह–1/2019 जयपुर, दिनांक 21.09.2020

आदेश

श्री नाजिम अली, श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित, श्री पूनम सिंह विश्नोई, सुरेन्द्र कुमार भाटी, वीरेन्द्र कुमार जाखड़, श्री जगदीश प्रसाद यादव, श्री अत्तर सिंह पूनियां एवं श्री प्रभाती लाल, आरपीएस के प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.09.2020 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **वरिष्ठ वेतन श्रृंखला** की निम्नांकित वर्षो की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति की अभिशंषाओं की चयन सूची में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

वर्ष 2013–14:–

श्री नाजिम अली को मिले परिनिन्दा के दण्ड में आदेश दिनांक 20.11.2014 द्वारा दोषमुक्त किये जाने के कारण वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्व राजस्थान पुलिस सेवा की सीनियर स्केल में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदेन्नत किया जाता है, तथा इनकी वरिष्ठता श्रीमती निर्मला विश्नोई (सामान्य) के नाम के नीचे एवं सुश्री यश्विनी राजौरिया (सामान्य) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2014–15 की चयन सूची से श्री नाजिम अली का नाम विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2014–15:–

1. **श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित**

श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित को डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 11266/14, खुशालसिंह व अन्य बनाम राजस्थान स्टेट व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय जयपुर बेंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 की पालना में वर्ष 2014–15 में एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा वर्ष 2015–16 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है। श्री राजपुरोहित की वरिष्ठता श्री पूनाराम डूडी (सामान्य) के नाम के नीचें एवं श्री बाबूलाल विश्नोई (सामान्य) के नाम के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित को पदोन्नति दिये जाने पर वर्ष 2014–15 की चयन सूची से श्री योगेन्द्र कुमार जोशी का नाम विलोपित किया जाता है।

2. **पूनम सिंह विश्नोईः–**

श्री पूनम सिंह विश्नोई को मिले दो वार्षिक वेतन वृद्विया संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड को मा0 राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 20.12.2018 द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण श्री पूनम सिंह विश्नोई को वर्ष 2014–15 में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा वर्ष 2016–17 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है। श्री विश्नोई (सामान्य) की वरिष्ठता श्री परबत सिंह (सामान्य) के नाम के नीचे एवं श्री सुरेन्द्र कुमार दीक्षित (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है। श्री विश्नोई को वर्ष 2014–15 में पदोन्नति दिये जाने पर इस चयन सूची के समान्य वर्ग के अधिकारी श्री भंवरसिंह का नाम विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2016–17:–

श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी को मिले परिनिन्दा के दण्ड विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर गृह (ग्रुप–11) विभाग के आदेश दिनांक 30.01.2019 द्वारा उक्त दण्डादेश को अपास्त किये जाने के कारण वर्ष 2016–17 में एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा इनकी वरिष्ठता श्री निमर्ल शर्मा (सामान्य) के नाम के नीचे एवं श्री राजेश कुमार (सामान्य) के नाम के उपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2016–17 की चयन सूची से सामान्य वर्ग के अधिकारी श्री द्वारका प्रसाद शर्मा का नाम विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2017–18 :–

श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी का चयन वर्ष 2016–17 में किये जाने के फलस्वरूप उक्त चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2016–17 की चयन सूची से विलोपित श्री द्वारका प्रसाद शर्मा का चयन वर्ष 2017–18 में किया जाकर इनकी वरिष्ठता श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी के स्थान पर निर्धारित की जाती है।

श्री विरेन्द्र कुमार जाखड़ के विरूद्व दण्ड के परिवर्तन के प्रभावस्वरूप पारित परिनिन्दा के दण्डादेश क्रमांक 56 दिनांक 31.01.2012 के प्रभाव के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया।

श्री जगदीश प्रसाद यादव को वर्ष 2019–20 में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 15.12.2016 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्वि भविष्य प्रभाव के रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया था। उक्त दण्ड का प्रभाव वर्ष 2017–18 में लिये जाने के कारण श्री यादव को वर्ष 2017–18 में पदोन्नति से वंचित किया जाता है।

जारी 2 पर

वर्ष 2018–19 :–

श्री जगदीश प्रसाद यादव को सीनियर स्केल में वर्ष 2019–20 में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 15.12.2016 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्वि भविष्य प्रभाव के रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उक्त दण्ड का प्रभाव वर्ष 2017–18 में लिये जाने के कारण श्री यादव को वर्ष 2018–19 में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा श्री यादव की वरिष्ठता श्री रामनिवास मीणा, एसटी के नाम के नीचे एवं श्री नीरज पाठक, सामान्य के नाम के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री विरेन्द्र कुमार जाखड़ के विरूद्व दण्ड के परिवर्तन के प्रभावस्वरूप पारित परिनिन्दा के दण्डादेश क्रमांक 780 दिनांक 11.05.2016 के प्रभाव के कारण वर्ष 2019–20 में पदोन्नति से वंचित किया जाता है।

श्री प्रदीप कुमार रिणवा व श्री संजीव भटनागर का रिव्यू डीपीसी में सुपरटाईम स्केल में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध 02 रिक्तियों एवं सलेक्शन स्केल में रिव्यू डीपीसी से वर्ष 2017–18 में चयनित श्री पूनम सिंह विश्नोई व श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित की सेवानिवृति से उपलब्ध 02 रिक्तियों (कुल 04) के कारण वर्ष 2018–19 में श्री ओमप्रकाश गौतम, श्री राजपाल गोदारा एवं श्री विक्रम सिंह को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री ओमप्रकाश गौतम की वरिष्ठता श्री जीवनप्रकाश जोशी के नीचे, श्री राजपाल गोदारा की वरिष्ठता श्री ओमप्रकाश गौतम के नीचे एवं श्री विक्रम सिंह की वरिष्ठता श्री राजपाल गोदारा के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2019–20 :–

श्री ओमप्रकाश गौतम, श्री राजपाल गोदारा एवं श्री विक्रम सिंह का चयन वर्ष 2018–19 में किये जाने के कारण उक्त चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

1. **श्री प्रभाती लाल**

राजस्थान पुलिस सेवा की सीनियर स्केल की वर्ष 2019–20 की डीपीसी के समय श्री प्रभाती लाल के विरूद्व दण्डादेश दिनांक 25.09.2017 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्वि बिना भविष्य प्रभाव के रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया था। उक्त दण्ड को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.11.2019 द्वारा अपास्त किये जाने के कारण श्री प्रभाती लाल को वर्ष 2019–20 में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा इनकी वरिष्ठता श्री दुर्गपाल सिंह पुरोहित, सामान्य के नीचे एवं श्री गोवर्धन लाल, एससी के उपर निर्धारित की जाती है।

2. **श्री अत्तरसिंह पूनियां**

श्री अत्तरसिंह पूनियां, आरपीएस को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 09.09.2019 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति से वंचित किया गया था। उक्त दण्डादेश के विरूद्व इनके द्वारा राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 08.06.2020 द्वारा अपील स्वीकार कर दण्डादेश को निरस्त कर दिये जाने के कारण श्री पूनियां को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा इनकी वरिष्ठता श्री कान सिंह के नीचे एवं श्री सौभाग्य सिंह के नाम के उपर निर्धारित की जाती है।

3. **श्री वीरेन्द्र कुमार जाखड़**

श्री विरेन्द्र कुमार जाखड़ के विरूद्व पारित दण्डादेशो का प्रभाव वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में लिये जाने के कारण वर्ष 2019–20 में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा इनकी वरिष्ठता श्री अकलेश कुमार शर्मा के उपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति मा0 न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त पदोन्नत अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय राज0, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
5. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

21/09/2020
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस